



वित्तीय समावेशन की मज़बूती के लिए महत्वपूर्ण पहल

भारत के आर्थिक सुदृढ़ीकरण और लचीलेपन का अगला चरण, वित्तीय समावेशन को मज़बूत करने, कर प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने और सभी वर्गों के लिए न्यायसंगत व सस्ती ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने पर निर्भर करेगा।

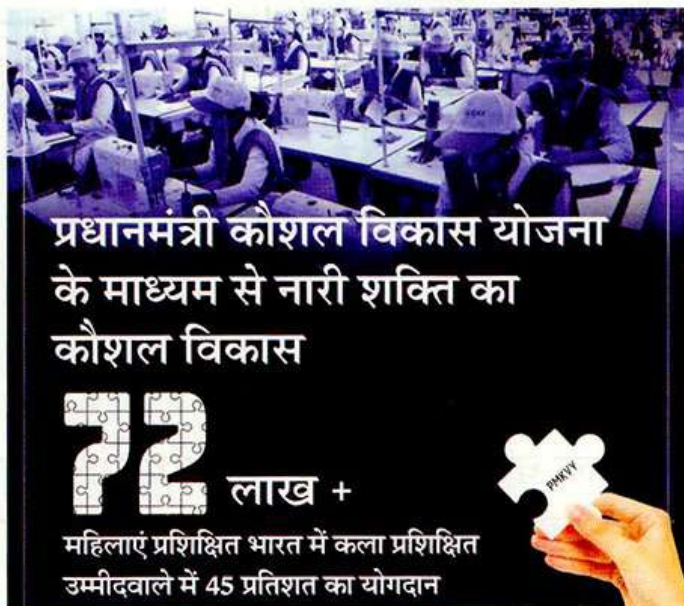
पिछले दशक में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थाओं के सरलीकरण और सभी वर्गों में ऋण उपलब्धता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुए हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के वित्तीय समावेशन सूचकांक ने हाल ही में काफी गति पकड़ी है, जो 2025 में बढ़कर 67 हो गया है, और बैंक खाता स्वामित्व बढ़कर 89 प्रतिशत हो गया है, जिससे औपचारिक वित्त के लिए बेहतर अवसर पैदा हुए हैं। नई पीढ़ी के जीएसटी सुधार, जीएसटी स्लैब और दरों को युक्तिसंगत बनाना, और नया आयकर विधेयक, 2025 प्रक्रियाओं को सरल बनाने, दरों को युक्तिसंगत बनाने और प्रशासन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की गई महत्वपूर्ण पहल हैं।

वित्तीय समावेशन

भारत में वित्तीय समावेशन ने पिछले दशक में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक कार्यक्रमों, भुगतान नवाचारों और विस्तारित बैंकिंग अवसंरचना के बल पर जबरदस्त प्रगति की है। प्रमुख कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, वित्तीय समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुआ है। नवंबर 2025 तक, पीएमजेडीवाई खातों की संख्या 57.11 करोड़ से अधिक हो गई, जिनमें लगभग 2.74 लाख करोड़ रुपये जमा थे, और लाभार्थियों में महिलाओं और ग्रामीण खाताधारकों का बहुमत है। भारतीय रिज़र्व बैंक के वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफआई-इंडेक्स) में उल्लेखनीय सुधार दर्ज



लेखक एनडीआईएम नियो रिसर्च सेंटर (एनएनआरसी) के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। ईमेल: satyaresearch@gmail.com



किया गया है, जो 2021 के 53.9 से बढ़कर 2025 में 67 हो गया, जो वित्तीय सेवाओं की पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता में हुई प्रगति को दर्शाता है। यह समग्र स्कोर शाखा/एटीएम की पहुंच, बिजनेस कॉरिस्पोंडेंट की पहुंच और डिजिटल भुगतान को अपनाने जैसे मैट्रिक्स को शामिल करता है।

खाता स्वामित्व में तेजी से वृद्धि हुई है, क्योंकि विश्व बैंक के ग्लोबल फिंडेक्स के अनुसार वित्तीय खातों वाले वयस्कों की हिस्सेदारी में बड़ी वृद्धि हुई है। भारत में खाता स्वामित्व 2024 में लगभग 89-90 प्रतिशत तक पहुंच गया (जो 2021 में लगभग 77-78 प्रतिशत था), यह दर्शाता है कि पहुंच बढ़ाने के प्रयासों और डिजिटल ऑनबोर्डिंग ने बैंक रहित आबादी को काफी कम कर दिया है। समावेशन का समर्थन करने वाली अवसंरचना और चैनलों का भी विस्तार हुआ है, 2010 और 2020 के दशक में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शाखाओं में पर्याप्त वृद्धि हुई और मार्च 2024 में कुल शाखाओं की संख्या बढ़कर 1.60 लाख हो गई। पीएमजेडीवाई, इंटरऑपरेबल डिजिटल भुगतान (विशेष रूप से यूपीआई), आधार-लिंकड केवाईसी, और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण ने लेनदेन लागत को काफी कम कर दिया है, सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार किया है, और गरीब परिवारों के बीच औपचारिक बचत को बढ़ाया है।

कर सरलीकरण

भारत में कर सरलीकरण ने एक क्रमिक लेकिन स्पष्ट मार्ग का अनुसरण किया है, जो अत्यधिक जटिल कर प्रणालियों, उच्च दरों और संकीर्ण कर आधार से एक अधिक उदार, सरल, आईटी-संचालित और एकीकृत प्रणाली की ओर बढ़ा है। स्वतंत्रता के कई वर्षों बाद तक भारत औपनिवेशिक युग के आयकर अधिनियम, 1922 के तहत संचालित होता रहा, जिसे बाद में आयकर अधिनियम, 1961 द्वारा पूरी तरह से प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिसका उद्देश्य प्रत्यक्ष कर कानूनों को समेकित और युक्तिसंगत बनाना था। इसके बाद प्रशासनिक सुव्यवस्थीकरण के तहत 1964 में केंद्रीय राजस्व बोर्ड

अधिनियम, 1963 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय के रूप में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का गठन किया गया, ताकि सभी प्रत्यक्ष करों की पेशेवर तरीके से देखरेख की जा सके।

कर प्रणाली में एक महत्वपूर्ण मोड़ राजा जे. चेलैया (1991-93) की अध्यक्षता में कर सुधार समिति (टीआरसी) के गठन के साथ आया, जिसका गठन 1991 के भुगतान संतुलन संकट के बाद किया गया था। टीआरसी ने स्पष्ट रूप से कर आधार को व्यापक बनाने, सीमांत दरों को कम करने, छूटों को न्यूनतम करने और अनुपालन में सुधार तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए कानूनों और प्रक्रियाओं को मौलिक रूप से सरल बनाने की वकालत की। इसकी सिफारिशें 1990 के दशक के 'ड्रीम बजट' का आधार बनीं। विभिन्न सुधारों की प्रगति के साथ, 1997-98 तक, अधिकतम सीमांत व्यक्तिगत आयकर दर घटकर 30 प्रतिशत रह गई थी, जिसमें केवल 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 30 प्रतिशत के तीन स्लैब थे, साथ ही कॉर्पोरेट कर और सीमा शुल्क को भी युक्तिसंगत बनाया गया।

अप्रत्यक्ष करों के क्षेत्र में, 1994 में केवल तीन सेवाओं पर 5 प्रतिशत की दर से सेवा कर शुरू किया गया था, जिसे बाद में भारत के बढ़ते सेवा क्षेत्र के लिए एक आधुनिक कर आधार बनाने हेतु धीरे-धीरे विस्तारित किया गया। 2000 के दशक के मध्य में राज्यों ने भी विभिन्न बिक्री करों से मूल्य वर्धित कर (वैट) को अपनाया, जिससे करों के व्यापक प्रभाव (कैस्केडिंग) और दर की जटिलता कम हुई। यह प्रक्रिया 1 जुलाई, 2017 को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के रूप में समाप्त हुई, जो एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण सरलीकरण था, जिसने 17 प्रमुख अप्रत्यक्ष करों और 13 उपकरों को एक ही जीएसटी में समाहित कर लिया। पिछले दशक में भारत की कर व्यवस्था में क्रांतिकारी विकास हुए हैं, जिसमें सुधारों की एक मजबूत श्रृंखला रही है, जैसे कि फेसलेस मूल्यांकन/ई-मूल्यांकन योजना, 2019, जिसने निर्बाध, सुगम और फेसलेस मूल्यांकन प्रदान करने के लिए केंद्रीकृत आईटी प्रणालियों का उपयोग करके करदाताओं और अधिकारियों के बीच अधिकांश भौतिक संवाद को समाप्त कर दिया।

2025 में, भारत ने वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के मुकाबले अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को मजबूत करने और खपत को समर्थन देने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की दिशा में बड़े सुधार किए, जिससे मांग और औद्योगिक रोजगार में वृद्धि हुई। इन बड़े सुधारों का केंद्र जटिल प्रक्रियाओं को और कम करना, कई स्लैब और दरों को युक्तिसंगत बनाना, विधायी प्रक्रियाओं को सरल बनाना, डिजिटलीकरण को बढ़ाना, अनुपालन लागत को कम करना और करदाताओं को स्पष्टता प्रदान करना था। इसी ढांचे के तहत, सितंबर 2025 में जीएसटी सुधारों की घोषणा और कार्यान्वयन किया गया। इन नई पीढ़ी के सुधारों ने पिछली बहु-स्लैब संरचना को एक बहुत सरल ढांचे में युक्तिसंगत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है, जो अधिकांश लेन-देन के लिए 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत जीएसटी दरों वाली दो-स्लैब प्रणाली है। सितंबर, 2025 से नई पीढ़ी की व्यवस्था ने चुनिंदा 'लकजरी/सिन' वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत की उच्च दर को

बरकरार रखा है। हाल ही में एक सुनियोजित कदम के तहत, सरकार ने आयकर अधिनियम, 2025 लागू किया, जिसे 1 अप्रैल, 2026 से कार्यान्वित किया जाएगा, जो 1961 से लागू प्रत्यक्ष कर कानून की जगह लेगा। इस नई आयकर संहिता, 2025 ने धाराओं की संख्या 819 से घटाकर 536 और अध्यायों की संख्या 47 से घटाकर 23 कर दी है। इसका उद्देश्य डिजिटल-फर्स्ट, फेसलेस व्यवस्था शुरू करके आयकर अधिनियम को सरल और आधुनिक बनाना है।

नए आयकर अधिनियम, 2025 की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- भाषा का सरलीकरण
- कर वर्ष की अवधारणा का परिचय
- डिजिटल एकीकरण
- विवाद समाधान समिति
- वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियां

केंद्रीय बजट 2025-26 में भी करदाताओं को महत्वपूर्ण राहत दी गई है, क्योंकि आयकर स्लैब को युक्तिसंगत बनाया गया है। दस लाख करदाताओं को राहत प्रदान करने और कर गणना को सरल बनाने के लिए नई शून्य-कर सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है।

पिछले दशक के दौरान कर व्यवस्था में इन महत्वपूर्ण बदलावों को प्रक्रियागत सरलीकरण का भी समर्थन मिला है। कर प्रशासन द्वारा फेसलेस मूल्यांकन, त्वरित रिफंड और इलेक्ट्रॉनिक विवाद-समाधान योजनाओं पर जोर देने से पहले ही ठोस परिणाम मिल चुके हैं: हाल के वर्षों में रिफंड प्रसंस्करण समय और संख्या में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, और सरकार की 'विवाद से विश्वास' योजना ने करदाताओं की परेशानियों, समय और अनुपालन लागत को कम करते हुए कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि के रूप में जबरदस्त परिणाम दिए हैं।

ऋण तक पहुंच

पिछले दशक में, एनपीए की पारदर्शी पहचान, दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूजीकरण, प्रशासनिक सुधार, दिवाला और दिवालियापन संहिता के माध्यम से मजबूत ऋण अनुशासन और पीएम-जेडीवाई तथा डिजिटल बैंकिंग के माध्यम से तीव्र वित्तीय समावेशन के कारण भारत की ऋण वृद्धि में सुधार हुआ है। इन उपायों ने बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किया, वसूली तंत्र को बेहतर बनाया, जोखिमों को कम किया और औपचारिक ऋण तक देशव्यापी पहुंच का विस्तार किया।

बेहतर वित्तीय समावेशन, औपचारिक ऋण संस्थानों की वृद्धि, और गैर-बैंक ऋण प्रदाताओं की बढ़ती भूमिका की सहायता से ऋण तक पहुंच एक स्थिर गति से बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2024 में 22.3 ट्रिलियन रुपये (16.3 प्रतिशत वार्षिक) के रिकॉर्ड-उच्च बैंक ऋण विस्तार के बाद, बैंकिंग क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2025 में 11.4 प्रतिशत की ऋण वृद्धि दर्ज की, और वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में (वर्ष-दर-वर्ष) वृद्धि 9.3 प्रतिशत रही। यह समग्र बैंक ऋण में एक स्वस्थ

गति का संकेत देता है।

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत लक्षित ऋण महत्वपूर्ण बना हुआ है; वित्त वर्ष 2024 तक, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के तहत वर्गीकृत बैंक ऋण 59.1 ट्रिलियन रुपये था, जो समायोजित शुद्ध बैंक ऋण का लगभग 45.1 प्रतिशत है। यह इस बात को रेखांकित करता है कि ऋण प्रवाह का एक बड़ा हिस्सा कृषि, छोटे व्यवसायों और सामाजिक-आर्थिक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को जाता है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी), सूक्ष्म-वित्त संस्थान और नए निजी ऋण/फिनटेक ऋणदाता तेजी से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। समग्र निजी ऋण क्षेत्र वैकल्पिक ऋणदाताओं के लिए अवसर प्रदान करना जारी रखता है, विशेष रूप से उपभोक्ता वित्त, संरचित एमएसएमई ऋण और एनबीएफसी वित्तपोषण में, जिसे मजबूत पूंजी बफर का समर्थन प्राप्त है (मार्च 2025 तक सीआरएआर-पूंजी से जोखिम भारित आस्ति अनुपात 25.8 प्रतिशत था)।

मांग पक्ष पर, औपचारिक खाता स्वामित्व वाले वयस्कों की हिस्सेदारी में तेजी से वृद्धि हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय समावेशन सूचकांक (एफ1-इंडेक्स) 2025 में 67.0 पर पहुंच गया है, जो वित्तीय सेवाओं की पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता में वृद्धि को दर्शाता है।

पिछले दो दशकों में, ऋण रिपोर्टिंग अवसंरचना काफी परिपक्व हुई है, जिससे ऋणदाताओं को ऋण पात्रता का बेहतर आकलन करने और उधारकर्ताओं के एक व्यापक वर्ग तक ऋण का विस्तार करने में मदद मिली है। ऋण रिपोर्टिंग कंपनियों ने देश भर में अपनी पहुंच का विस्तार किया है, सूचना परिवेश को मजबूत किया है और उधारकर्ताओं तथा ऋणदाताओं के बीच सूचना की विषमता को कम किया है। भविष्य में, ग्रामीण बैंकिंग की पहुंच को मजबूत करना, संपार्श्विक और दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं को सरल बनाना, एनबीएफसी/सूक्ष्म-वित्त ऋण का विस्तार करना, और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, ऋण को अधिक समावेशी बनाने और भारतीय अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक, न्यायसंगत विकास को सक्षम करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

पिछले दशक में भारत की आर्थिक सुधार यात्रा एक अधिक समावेशी, कुशल और विकास-समर्थक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के सुसंगत प्रयास को दर्शाती है। वित्तीय समावेशन की बढ़ती पहुंच ने लाखों लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में एकीकृत करने के लिए एक मजबूत नींव रखी है। यह प्रगति कम आय वाले परिवारों, ग्रामीण समुदायों और महिलाओं द्वारा अधिक आर्थिक भागीदारी की दिशा में एक संरचनात्मक बदलाव का प्रतीक है, जिससे उन्हें बचत, ऋण और डिजिटल भुगतान तक बेहतर पहुंच प्राप्त होती है।

एक टिकाऊ, व्यापक और सामाजिक रूप से समावेशी विकास पथ हासिल करने तथा 'विकसित भारत' की ओर हमारी यात्रा के लिए वित्तीय समावेशन, कर-प्रणाली में पारदर्शिता और न्यायसंगत ऋण पहुंच में एक एकीकृत दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। □